भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-380

उत्तर देने की तारीख-27/03/2023

विश्वविद्यालयों की रेटिंग

†*380. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद आदि जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालयों की रेटिंग कराए जाने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों सहित देश के विश्वविद्यालयों के रेटिंग के लिए मानक दिशानिर्देश या नीतियां तैयार की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अलावा कई निजी एजेंसियां शैक्षिक संस्थानों का मूल्यांकन कर रही हैं और छात्रों को गुमराह करने वाले रेटिंग को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर रही हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि एनआईआरएफ द्वारा रैंक प्रदत्त निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अत्यधिक शुल्क लेते हैं और इस प्रकार वे गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर ही रहते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में अपने केन्द्र खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्या श्रीमती साजदा अहमद द्वारा 'विश्वविद्यालयों की रेटिंग' के संबंध में दिनांक 27.03.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 380 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन (ए एंड ए) पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के प्रत्यायन पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है। एनईपी में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उपयुक्त प्रत्यायन प्राप्त करने, श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरण-वार तंत्र की स्थापना और मौजूदा वैश्विक परम्परा के अनुसार प्रत्यायन को एक द्विआधारी प्रक्रिया कर पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।

प्रारंभ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा 1994 में एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (यू) के प्रावधानों के तहत स्थापित और अब 7 जनवरी, 2010 से एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, फार्मेसी और आतिथ्य आदि जैसे तकनीकी विषयों में कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, संस्थान/विश्वविद्यालय रैंकिंग से संबंधित कार्यों को करने के लिए एक स्वतंत्र संस्थागत ढांचा स्थापित करने और भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद, सरकार ने 29 सितंबर, 2015 को भारत में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) शुरू किया ताकि उद्देश्यात्मक मापदंडों और एक पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर भारतीय संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जा सके। उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 सीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की भी स्थापना की गई है। सरकार को यह भी जानकारी है कि कुछ निजी एजेंसियां उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।

(ङ): राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधान द्वारा की जाती है और शुल्क का निर्धारण या तो राज्य सरकार/राज्य शुल्क विनियामक समिति अथवा संबंधित

विश्वविद्यालय द्वारा उनके अधिनियमों और संविधियों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। समवत विश्वविद्यालयों में शुल्क संरचना का निर्णय संस्थानों द्वारा स्वयं यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुरूप किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि:

(i) कोई प्रति व्यक्ति शुल्क या दान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) शुल्क विवरणिका में घोषित किया जाना चाहिए और विवरणिका में घोषणानुसार शुल्क लिया जाना चाहिए;

(iii) लिखित रूप में उचित रसीद के बिना शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए;

(iv) प्रवेश परीक्षा का शुल्क ऐसी परीक्षा आयोजित करने में होने वाली उचित लागत से अधिक नहीं लिया जाएगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों में शुल्क विनियमन हेतु, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय शुल्क समिति (एनएफसी) की सिफारिशों के आधार पर कुछ संशोधनों के साथ इन संस्थानों द्वारा प्रति वर्ष ली जाने वाली न्यूनतम और अधिकतम फीस निर्धारित की है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारण से संबंधित मामला संबंधित राज्य शुल्क विनियामक समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10 में उन निजी चिकित्सा संस्थानों और समवत विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत सीटों के संबंध में शुल्क और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान है, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित होते हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इन्हें दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया था।

(च): ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों ने भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

****